

क्रमांक १२२६ /२०२३ रीवा, दिनांक 10.06.2023

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना)

सूचना

महाविद्यालय के समर्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री सीखो कमाऊ योजना" के अंतर्गत अपना पंजीयन अपनी योग्यता एवं स्वेच्छातुसार ट्रेड एवं कम्पनी में करायें, जिसमें प्रतिमाह रु. 8,000–10,000/- स्टाइपेंड के रूप में शासन के द्वारा प्रदान किया जायेगा एवं साथ ही प्रशिक्षण उपरात इन्ट्रैनिशिप सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जायेगा।
विस्तृत जानकारी के लिए आई.टी.आई. कालेज या जिला पंचायत से सम्पर्क करें।

१०.६.२०२३ ,

(डॉ. अन्युत पाण्डेय)

संभागीय नोडल अधिकारी

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म०प्र०)

१०.६.२०२३ ,

(डॉ. अमिता अवस्थी)

प्राचार्य

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म०प्र०)



लोगो वाला लाइन

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए जिम्मेदारी

भौतिक विकास के लिए जिम्मेदारी

विकास के लिए जिम्मेदारी

विकास के लिए जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री

सीरियो-कामाओं योजना (MMSKY)

युवाओं की पात्रता

- 18 से 29 वर्ष आयु
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी
- 12वीं/आईआई उत्तीर्ण या उससे उच्च

स्टाइपण्ड

- देंनिंग में 12वीं उत्तीर्ण को ₹. 8000, आईआई उत्तीर्ण को ₹. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को ₹. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को ₹. 10 हजार प्रतिमाह

योजना का लाभ

- नवीनतम तकनीक के माध्यम से उद्योग-उम्मुख प्रशिक्षण।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाणन।
- नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता।

सिवायान सिविल योजना
मध्यप्रदेश

सिवायान



योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/>
पर पंजीयन 15 जून 2023 से ग्राम

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री सारेयो-क्रमाओं योजना (MMSKY)

प्रतिष्ठानों की पात्रता

- देश/प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिकाम, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- योजना सभी निजी संस्थानों जैसे- प्रोफराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, दस्त, समिति, आदि पर लाग होगी।

प्रतिष्ठानों को लाभ

- प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- युवाओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड का 25% प्रतिष्ठान द्वारा एवं 75% राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जावेगा।
- योजना अंतर्गत 46 क्षेत्रों में 800 से भी अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण।

योजना अंतर्गत क्षेत्र

- विनियांग : इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिंडिल, आदि।
- प्रबंधन : मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र।
- ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी गिर इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।

सेवा:


- होटल मैनेजमेंट, ट्रॉजिम और ट्रैवल, अस्पाताल, रेलवे, आदि।
- आईटी: आईटी और सॉफ्टवेर डेवलपमेंट।
- वित्तीय : बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएँ।
- मीडिया, कला, कानूनी एवं विधि सेवाएँ।
- शिक्षा व प्रशिक्षण।

प्रतिष्ठानों की पात्रता

- देश/प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिकाम, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- योजना सभी निजी संस्थानों जैसे- प्रोफराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, दस्त, समिति, आदि पर लाग होगी।

प्रतिष्ठानों को लाभ

- प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
 - युवाओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड का 25% प्रतिष्ठान द्वारा एवं 75% राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जावेगा।
 - योजना अंतर्गत 46 क्षेत्रों में 800 से भी अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण।
- योजना अंतर्गत क्षेत्र
- विनियांग : इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिंडिल, आदि।
 - प्रबंधन : मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र।
 - ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी गिर इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
- सेवा:
- होटल मैनेजमेंट, ट्रॉजिम और ट्रैवल, अस्पाताल, रेलवे, आदि।
 - आईटी: आईटी और सॉफ्टवेर डेवलपमेंट।
 - वित्तीय : बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएँ।
 - मीडिया, कला, कानूनी एवं विधि सेवाएँ।
 - शिक्षा व प्रशिक्षण।



योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/>
पर पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ



प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय विकास

प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री सीरियो-कॉमाओं योजना (MMSKY)

प्रधानमंत्री
सीरियो-कॉमाशिवराज सिंह बोहल
मुख्यमंत्री

युवाओं के लिए अवसरों का नया आसमान

युवाओं की पात्रता


- 18 से 29 वर्ष आयु
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी
- 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च

स्टाइपेण्ड

- ट्रेनिंग में 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को ₹ 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को ₹ 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को ₹ 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को ₹ 10 हजार प्रतिमाह

योजना का लाभ

- नवीनतम तकनीक के माध्यम से उद्योग-उन्नयन प्रशिक्षण।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाणन।
- नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता।



योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/>
पर पंजीयन 15 जून 2023 से ग्राम

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश २४८०८०

मुख्यमंत्री सीरियो-क्रमाओं योजना (MMSKY)

रोड नमूद
प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह दोषन
मुख्यमंत्री

प्रतिष्ठानों के लिए योग्य कार्यबल हेतु नया मंच

प्रतिष्ठानों की पात्रता

- देश/प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- योजना सभी निजी संस्थानों जैसे- प्रोपराइटरिशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि पर लागू होगी।

योजना अंतर्गत क्षेत्र

- विनिर्माण : इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आदि।

प्रबंधन: मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र।

- ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी गिरावकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।

सेवा : होटल मैनेजमेंट, ट्रूइंग और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आदि।

- आईटी: आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।

वित्तीय : बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवायें।

- मीडिया, कला, कानूनी एवं विधि सेवाएं।
- शिक्षा व प्रशिक्षण।

प्रतिष्ठानों को लाभ

- पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15% की संख्या तक युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- प्रतिष्ठान को नियरित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25% राशि युवाओं के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिए नियरित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद नियरित स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन की ओर से युवाओं को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की नियरित अवधि तक स्टाइपेंड दिया जावेगा।

• योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/> पर पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन